



क्षेत्रीय कार्यालय  
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
बी-16, आवास विकास कालोनी,  
उन्नाव

फो०/फै०-0515-2830488

पत्रांक सं०- 500/N.O.C/747/17  
सेवा में,

दिनांक 21-03-17

मेसर्स मुरारी कल्पना फिलिंग स्टेशन (भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०),  
गाटा सं० 899, ग्राम-बल्लीपुर, पोस्ट-बम्हनाखेड़ा,  
तहसील व जनपद-हरदोई।

विषय: पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से रिटेल आउटलेट भण्डारण/वितरण हेतु नई इकाई की  
स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक-26.02.2017 जो निवेश मित्र के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक 27.02.2017 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ लें। आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया है, तथा अवगत हों कि रिटेल आउटलेट भण्डारण/वितरण हेतु पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नकों) के साथ स्थापना से पूर्व सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

(1) अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

- |                                  |   |                                                                                        |
|----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| [क] स्थल                         | - | गाटा सं० 899, ग्राम-बल्लीपुर, पोस्ट-बम्हना खेड़ा, तहसील व जनपद-हरदोई।                  |
| [ख] उत्पादन                      | - | पेट्रोलियम भण्डारण/वितरण एवं रिटेल, डीजल भण्डारण=20 कि०ली०, पेट्रोल भण्डारण=15 कि०ली०, |
| [ग] मुख्य कच्चा माल/रसायन        | - | डीजल - 20 कि०ली०, पेट्रोल- 15 कि०ली०                                                   |
| [घ] औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा | - | शून्य                                                                                  |
| [ङ] प्रयुक्त ईंधन व उसकी मात्रा  | - | मात्र विद्युत कनेक्शन एवं डी०जी०सेट 1.5 के०वी०ए०।                                      |

उपर्युक्त विषयवस्तु में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- (2) घरेलू बहिःश्राव जिसकी मात्रा 0.5 किली०/दिन से अधिक न होगी, को सेप्टिक टैंक/सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप शुद्धिकृत करके निस्तारित किया जाये।
- (3) उत्पादन प्रक्रिया में जल का प्रयोग नहीं किया जाये।
- (4) उत्पादन प्रक्रिया में जल का उपयोग कूलिंग/वाशिंग/मिक्सिंग आदि में नहीं किया जाये।
- (5) इकाई द्वारा उत्पादन प्रक्रिया तथा सहयोगी प्रक्रियाओं में ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाये और न ही किसी प्रकार का वायु उत्सर्जन किया जाये।


.....2/-



(2)

- (6) इकाई में विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर केनोपीयुक्त 1.5 के0वी0ए0 के डी0जी0 सेट का प्रयोग किया जाये।
- (7) इकाई परिसर में उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुसार पर्याप्त हरित पट्टिका का विकास किया जाये।
- (8) इकाई की स्थापना एवं संचालन इस प्रकार किया जाये कि पर्यावरण पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा कोई भी क्रिया-कलाप जनहित के प्रतिकूल नहीं किया जाये।
- (9) अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों की अनुपालन आख्या प्रत्येक माह बोर्ड को प्रेषित की जायेगी तथा ट्रायल उत्पादन से दो माह पूर्व सहमति जल/वायु हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर दिया जाये।
- (10) एक्सप्लोसिव विभाग एवं कारखाना विभाग का लाईसेन्स प्राप्त करके तीन माह में जमा करें।
- (11) इकाई द्वारा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, कानपुर के एल0ओ0आई0 पत्र दिनांक 30.01.2016 एवं लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र दिनांक 03.01.2017 तथा मुख्य शमन अधिकारी, हरदोई के पत्र दिनांक 06.05.2016 के माध्यम से घदत्त लाईसेंस में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक-31.03.2018 तक वैध है। शर्तों के संशोधन का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त (रिवोक) किया जा सकता है।



भवदीय  
  
(प्र0 के0 चौधरी)  
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

सं0 एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित है।



क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)